न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 02/2020 जिला जयपुर ।

1. लल्लूराम पुत्र भौरी लाल जाति माली निवासी जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र गोपी (फौत)

1/1 श्रीमती अन्नपूर्णा शर्मा पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नंबर 91, जगत शिरोमणी मन्दिर सागर रोड, आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट

2. युगलकिशोर पुत्र भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर।
3. सरंपच ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा खोर पंचायत समिति झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।

प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर दिनांक 07.06.2018
अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री भगवान सहाय शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री दीनदयाल पारीक

अपील संख्या 03 /2020 जिला जयपुर।

1. युगलकिशोर पुत्र श्री भंवरलाल जाति ब्राहमण निवासी मकान नम्बर 141 जयसिंहपुरा खोर तहसील प जिला जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र गोपी (फौत)

1/1 श्रीमती अन्नपूर्णा शर्मा पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नंबर 91, जगत शिरोमणी मन्दिर सागर रोड, आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

2. सरंपच ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर दिनांक 07.06.2018
अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री दिनेश कुमार
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री दीनदयाल पारीक

निर्णय

दिनांक– 16.02.2021

1. यह दोनो द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर के निर्णय दिनांक 07.06.2018 के खिलाफ दिनांक 05.07.2018 एवं 06.08.2018 को प्रस्तुत हुई है। दोनो अपील एक नामान्तकरण संख्या 463 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अतः दोनो का निर्णय एक साथ किया जाता है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नामांतरकरण संख्या 463 दिनांक 21.02.1981 को ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा खोर द्वारा स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेंट संख्या 01 ने प्रथम अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर में प्रस्तुत की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा शीर्षक अपील राधेश्याम बनाम युगलकिशोर को निर्णय दिनांक 07.06.2018 के

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर को रिमांड किया गया।

3. न्यायालय उपखण्ड अधिकार जयपुर प्रथम जयपुर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट लल्लूलाल द्वारा अपील संख्या 02/2020 एवं युगलकिशोर के द्वारा अपील संख्या 03/2020 प्रस्तुत कर अपील अपीलान्टस स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2018 को निरस्त कर नामान्तकरण संख्या 463 दिनांक 21.02.1981 को बहाल रखे जाने के आदेश फरमाये जाने की प्रार्थना की गई।
4. दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. सर्वप्रथम अपील संख्या 02/2020 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत ईजाजत प्रस्तुत करने अपील अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वह वादग्रस्त भूमि के सदभावी क्रेता है तथा रिकार्डेड काश्तकार खातेदार है। अतः प्रकरण के प्रभावित एवं व्यथित आवश्यक पक्षकार है जिन्हें प्रथम अपील के दौरान पक्षकार संयोजित नही किया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी अपीलार्थी को पक्षकार माना है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।
6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट के द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रथम अपील में अपीलार्थी पक्षकार नही थे। उनके द्वारा द्वितीय अपील में चुनोती पेश की गई है। जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का क्रय भूमि संबंधि वाद लम्बित होने के दौरान किया गया है जो सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 में प्रतिपादित लिस पेडेन्स के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण प्रभाव शुन्य है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न लिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैः–

1- transfer of property Act, section 52
1989 RRD 224
2007(2) WLC (SC) CIVIL 256
1993 RRD 232 (D)

2- Code of Civil Procedure, Section 96
2020 RRD 693
1993 RRD 44, 232 (A)
1992 RRD 682
2009(1) RLW 469
1990 RRD 554, 689
2009(1) RRT 155
2020(2) RRT 943

7. अपील पत्रावली संख्या 2/2020 के योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने गुणावगुण पर बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 528, 542, 543, 544, 545, 546, 553, 554 कुल किता 8 कुल रकबा 14 बीघा भूमि में हिस्सा 1/2 के सहकाश्तकार भौरीलाल पुत्र औकार की भूमि लावारिस होने बाबत शिकायत की जिस पर अतिरिक्त जिलाधीश जयपुर द्वारा राजगामी अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या आर–9(7)77/दर्ज किया। जिस पर उज्रदारी प्रारूपिक रेस्पोडेंट संख्या 2 युगलकिशोर पुत्र भंवरलाल ने पेश की। जिस पर सुनवाई की जाकर ग्रामवासियो के बयान लिये तथा हलका गिरदावर की रिपोर्ट तलब की जाकर तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार रिपोर्ट में माना गया कि भौरीलाल पुत्र औंकार का युगलकिशोर जायंदा वारिस है तथा अतिरिक्त जिलाधीश जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 19.10.1978 द्वारा भौरीलाल को लावारिस फौत नही होना माना तथा उज्रदार युगलकिशोर पुत्र भंवरलाल को मृतक भंवरलाल का वारिस मानकर लावारिस की कार्यवाही ड्रॉप की गई। अतिरिक्त जिलाधीश जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.10.1978 के विरूद्ध शिकायतकर्ता ने न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष अपील संख्या 07/1978 उनवानी गोपीचन्द बनाम युगलकिशोर पेश की जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.01.1979 से खारिज की गई। भौरीलाल पुत्र औंकार हिस्सा 1/2 की फौती का नामान्तकरण खुलवाने बाबत

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र पेश करने पर अतिरिक्त जिलाधीश जयपुर के निर्णय दिनांक 19.10.1978 एवं तहसीलदार जयपुर के आदेश दिनांक 24.09.1980 के आधार पर प्रारूपिक रेस्पोडेंटस संख्या 2 युगलकिशोर पुत्र भंवरलाल के नाम नामान्तकरण संख्या 463 दिनांक 21.02.1981 स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण संख्या 463 दिनांक 21.12.1981 के विरूद्ध अनाधिकृत एवं अप्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा बिना किसी आधार के अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकार जयपुर प्रथम के समक्ष 30 वर्षो पश्चात मियाद बाहर अपील पेश की। विवादित भूमि खसरा नम्बर 528, 542, 543, 544, 545, 546, 553, 554 कुल किता 8 कुल रकबा 14 बीघा में हिस्सा 1/2 के खातेदार भौरीलाल पुत्र औकार व भंवरलाल पुत्र देवीलाल के स्वर्गवास पर खातेदारी प्रारूपिक रेस्पोडेंट संख्या 2 युगलकिशोर पुत्र भंवरलाल के नाम दर्ज हुई। प्रारूपिक रेस्पोडेंट संख्या 2 युगलकिशोर पुत्र भंवरलाल से अपीलार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 528 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 542 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 543 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 544 रकबा 17 बिस्वा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की है। उक्त भूमि क्रय करने की दिनांक से अपीलार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा अपने हिस्से की भूमि पर पुख्ता मकान एवं तारबंदी कर काबिज काश्त व उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अपीलार्थी ने प्रश्नाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 528 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 542 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 543 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 544 रकबा 17 बिस्वा क्रय करने से अपीलाधीन भूमि में अपीलार्थी के हक निहित है। हितबद्ध व्यक्ति अपीलार्थी को प्रकरण में पक्षकार संयोजित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण संख्या 463 दिनांक 21.02.1981 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने बाबत स्वीकृति प्राप्त नही की ओर ना ही अपील पेश करने की स्वीकृति लिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली में कोई साक्ष्य पेश किया जिससे पुष्टि होती हो कि अपीलांट राधेश्याम मृतक भौरीलाल पुत्र औंकार का वारिस है। राधेश्याम पुत्र भूरामल जगतशिरोमणी मंदिर आमेर का सेवायत व पुजारी है। स्वयं राधेश्याम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील की पत्रावली में प्रस्तुत धारा 151 सी.पी.सी. के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र में अपने आपको जगतशिरोमणी मंदिर आमेर का पुजारी अंकित किया है। देवस्थान विभाग द्वारा भी मंदिर जगत शिरोमणी का पुजारी राधेश्याम पुत्र भूरामल को नियुक्त कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलांट राधेश्याम ने स्वयं को भौरीलाल पुत्र औंकार के दादा गौरीशंकर की तथाकथित पुत्री गंगादेवी का पुत्र होना बताकर वारिस माना है। जबकि राधेश्याम की माता का नाम भूरी पुत्री श्रवण है। विवादित भूमि के अलावा अन्य खसरा नम्बर की भूमि बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद भौरीलाल बनाम गोपीचन्द पुत्र गोपाल उर्फ रामगोपाल में अपीलांट राधेश्याम ने स्वयं को भंवरलाल पुत्र औंकार का वंशज बताते हुये स्वयं को राधेश्याम पुत्र गोपीजी केयर ऑफ रामकिशोर व्यास खण्डार का रास्ता गंगापाल जयपुर बताकर उक्त वाद में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.1977 को पेश किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने राधेश्याम को भंवरलाल पुत्र औकार का वारिस नही मानकर दिनांक 10.04.1978 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलकर्ता राधेश्याम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया हे कि वह गौरीशंकर के वंशज व उत्तराधिकारी है और भौरीलाल पुत्र औंकार का वारिस है। जबकि प्रारूपिक रेस्पोडेंट संख्या 2 युगलकिशोर द्वारा अपने आपको वारिस व उत्तराधिकारी साबित करने हेतु साक्ष्य सबूत पेश किये गये है जिसमें वार्ड पंच का प्रमाण पत्र, जांच रिपोर्ट तहसीलदार, अतिरिक्त जिलाधीश का निर्णय, जागा वंशावली लेकर बयान, भौरीलाल पुत्र औंकार का पंजीकृत मुख्त्यारनामाआम जिसमें अपने भाई के पुत्र प्रारूपिक रेस्पोडेंट संख्या 2 युगलकिशोर पुत्र भंवरलाल को मुख्त्यारआम नियुक्त किया गया है। उक्त मुख्त्यारआम दिनांक 03.06.1975 उपपंजीयक जयपुर शहर के समक्ष पंजीबद्ध किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 में अपील संख्या 25/1982 एवं 96/2010 अलग–अलग नामान्तकरण संख्या 251 दिनांक 09.06.1974 एवं नामान्तकरण संख्या 463 दिनांक 21.02.1981 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। उक्त दोनो अपील के तथ्य एवं कानूनी बिन्दु

(सेवा राम)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

अलग–अलग थे। दोनो अपीलो का निस्तारण एक ही निर्णय द्वारा किया जाना न्यायोचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी हाल रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा 29 वर्ष के अप्रत्याशित विलम्ब से पेश की गई। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में मियाद के बिन्दु पर कोई निर्णय पारित नही किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 को निरस्त किया जावे तथा नामान्तकरण संख्या 463 दिनांक 21.02.1981 को यथावत रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।

8. अपील पत्रावली संख्या 3/2020 के योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 463 दिनांक 21.02.1981 ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर द्वारा सर्वसम्मति से तस्दीक किया गया है परन्तु रेस्पोडेंट ने बिना किसी हक अधिकार के एक मियाद बाधित प्रार्थना पत्र एवं एक अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसे पेश करने का उक्त रेस्पोडेंट को कोई हक अधिकार नही था। राधेश्याम द्वारा अपने आपको गोपीचन्द का पुत्र बताकर अपील प्रस्तुत की गई थी। लेकिन उक्त अपील में राधेश्याम द्वारा गोपीचन्द का पुत्र होने के सबंध में ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया। तीन दशक बाद राधेश्याम ने नामान्तकरण संख्या 463 दिनांकित 21.02.1981 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की है। जिसमें गौरीशंकर मिश्र की पुत्री गंगा देवी का पुत्र बताकर वारिस बताया गया है तथा राधेश्याम पुत्र गोपी ब्राहमण निवासी ग्राम जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर हाल निवासी डिग्गी हाउस जयपुर अंकित किया गया है। जबकि इसके समर्थन में ऐसी कोई वंशावली सजरा खानदान या कुर्सीनामा ग्राम पंचायत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष व श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 20/1986 उनवानी भौरीलाल बनाम गोपीचन्द में भी राधेश्याम ने अपने आप को भंवर लाल पुत्र औंकार का वंशज मानकर पक्षकार बनाने हेतु एक आवेदन दिनांक 02.12.1977 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया था। जिसको अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.4.1978 को खारिज फरमा दिया गया। जिसके विरूद्ध भी राधेश्याम ने अपर न्यायालयो में कोई कार्यवाही नही की गई। राधेश्याम द्वारा एक वाद पत्र देवस्थान विभाग में प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपने आप को राधेश्याम पुत्र भूरामल मंदिर जगतशिरोमणी आमेर का सेवारत पुजारी बताकर प्रस्तुत किया गया था। राधेश्याम/रेस्पोडेंट संख्या 1, राधेश्याम पुत्र भुरामल पुजारी जगतशिरोमणी मंदिर आमेर का प्रश्नगत भूमि व नामान्तकरण तथा कब्जे से कोई संबंध नही है ना ही गोरीशंकर के वंशज में आते है। क्योकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी पहचान के संबध में ना तो कोई पहचान पत्र या अन्य कोई ऐसा दस्तावेजात जिससे ऐसा साबित होता हो कि राधेश्याम गौरीशंकर का वंशज रहा हो तथा ना ही ऐसा कोई दस्तावेजात कुर्सीनामा वंशावली व जागा का रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है, जिससे साबित होता हो कि गौरीशंकर की वंशावली में राधेश्याम उत्पन्न हुआ हो। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है ना ही ऐसा कोई तथ्य प्रकट किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा लगभग 30 वर्ष बाद उक्त नामान्तकरण की अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष 96 सी.पी.सी. का कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है। उनका कथन है कि दौराने अपील रेस्पोडेंट संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 20.12.2018 को हो गई है तथा एक तथाकथित फर्जी वसीयत दिनांक 27.06.2018 के आधार पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी में रेस्पोडेंट संख्या 1/1 पक्षकार बनाते हुय पत्रावली को एक माह में निर्णित करने हेतु श्रीमान न्यायालय को आदेशित किया गया है। जानकारी होने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा उक्त तथाकथित वसीयत दिनांक 27.06.2018 के विरूद्ध एक सिविल न्यायालय कम–1 जयपुर महानगर जयपुर वाद संख्या 74/19 उनवानी युगल किशोर बनाम अन्नपूर्णा व अन्य वाद बाबत घोषणा व निरस्त किये जाने वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। उक्त तथाकथित वसीयत का वर्तमान में कोई

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

अस्तित्व नही है ना ही जिस भूमि की वसीयत की गई है वो राधेश्याम के नाम से ना थी ना ही उक्त भूमि पर राधेश्याम का कब्जा होने का या ऐसा कोई दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया ना ही श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 1/1 उक्त आराजीयात के संबध में किसी भी प्रकार से कोई सरोकार नही रखते क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या 1/1 द्वारा श्रीमान अधिनस्थ न्यायालय व अपीलीय न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया है जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेंट संख्या 1 या 1/1 का कब्जा रहा हो तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 1/1 गौरीशंकर के वंशज रहे हो। ना ही विवादग्रस्त आराजीयात के संबधं में खसरा गिरदावरी जमाबंदी व अन्य राजस्व रिकार्ड श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है, ना ही रेस्पोडेंट संख्या 1 के पहचान के संबंध में पहचान पत्र कुर्सीनामा वंशावली अन्य कोई रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1/1 द्वारा एक नोटरी से तस्दीक फर्जी वसीयत के आधार पर विवादग्रस्त आराजीयात पर मालिकाना हक जताते हुये उक्त अपील में पक्षकार बनी है। जिसका जब तक वसीयत का कोई प्रोबेट सक्षम अधिकारी से या सक्षम न्यायालय से प्राप्त नही किया जाता तब तक वसीयत का कोई औचित्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का बिना अवलोकन किये ही विधि विरूद्ध जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 07.06.2018 पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे।

9. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता द्वारा गुणावगुण पर बहस करते हुये कथन किया गया कि विवादग्रस्त भूमि पूर्व में गौरीशंकर की खातेदारी रही है तथा गौरीशंकर का सजरा खानदान निम्नानुसार हैः–

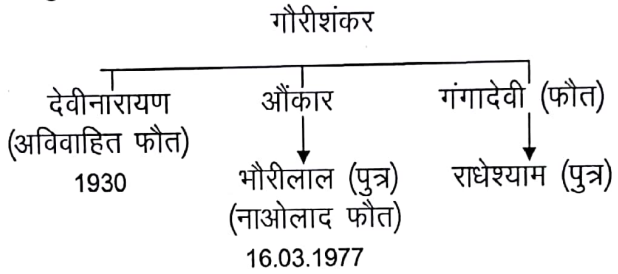

गौरीशंकर के पश्चात भौरीलाल पुत्र औंकार के खाते में दर्ज हुई। नामान्तकरण संख्या 251 द्वारा उक्त भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि देवीनारायण के नाम दर्ज हुई। जिसे अनुचित तौर पर भंवरलाल पुत्र देवीनारायण कर दिया गया, जबकि देवीनारायण नाऔलाद फौत हुआ है। भंवरलाल व भौरीलाल एक ही व्यक्ति है तथा नामान्तकरण संख्या 251 साजपूर्वक भरा गया है। अपीलार्थी युगलकिशोर पुत्र भंवरलाल दुसरा व्यक्ति है, देवीनारायण के पुत्र नही है। युगलकिशोर की माता का नाम लाखा है जो औकारसिंह के यहां काम करती थी। इसी प्रकार युगलकिशोर के नाम से जो नामान्तकरण संख्या 463 दर्ज किया गया है, वह अनुचित है तथा उक्त नामान्तकरण के माध्यम से युगलकिशोर को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। युगलकिशोर द्वारा जो भूमि अपीलार्थी लल्लूलाल को विक्रय की गई है उस विक्रय का कोई विधिक प्रभाव नही है तथा वह प्रभाव शून्य है। इसी प्रकार अपीलार्थी लल्लूलाल एवं युगलकिशोर के द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल निहित नही है तथा उक्त दोनो अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः दोनों अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जाकर दोनों अपीलाधीन आदेश यथावत रखे जावे।

10. हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 251 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 25/1982 एवं नामान्तकरण संख्या 463 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 96/2010 का एक ही निर्णय पारित किया गया है जबकि दोनो अपील भिन्न–भिन्न आदेश के विरूद्ध भिन्न–भिन्न समय में प्रस्तुत की गई है। दोनो अपील कन्सोलिडेट किये जाने संबंधी कोई निर्णय पारित नही किया गया है न ही किसी पक्षकार द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। यहां तक कि अधीनस्थ

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय में भी इस संबंध में कोई उल्लेख नही किया गया है। इस प्रकार भिन्न–भिन्न आदेशो की अपील का एक ही आदेश से निस्तारण किया जाना विधि विरूद्ध है।

11. जहां तक अपील संख्या 02/2020 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. का प्रश्न है। अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा सदभावी केता है। इस प्रकार प्रकरण का प्रभावित व व्यथित पक्षकार है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित किया जा चुका है। प्रत्यर्थी द्वारा बहस में किये गये कथन तथा न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होते है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत इजाजत प्रस्तुत करने अपील अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। जहां तक प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत ली गई आपति का प्रश्न है। उक्त धारा के प्रावधान उक्त स्थिति में लागू होते है जब विवादित सम्पति के स्वामित्व संबंधी विवाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन रहते हुये सम्पति का हस्तान्तरण किया गया हो। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व हस्तान्तरण संबधी विवाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। यह विधि का सुस्थापित तथ्य है कि नामान्तकरण द्वारा भूमि के स्वामित्व का निर्धारण नही होता है। अतः हस्तगत प्रकरण में नामान्तकरण की अपील का विचाराधीन होना लिस पेडेंन्स के सिद्धांत को आकर्षित नही करता है। अतः मेरे विनम्र मत में धारा 52 का आघात प्रस्तुत प्रकरण में नही होता है तथा विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के तथ्य हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होते है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी की यह आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

12. जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मुख्य विवाद नामान्तकरण संख्या 463 दिनांक 21.02.1981 ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा खोर द्वारा तस्दीक किये जाने के संबंध में है। ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा खोर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेंट्स संख्या 1 के द्वारा भूमि आराजी खसरा नम्बर 528, 542, 543, 544, 545, 546, 553, 554 कुल किता 8 कुल रकबा 14 बीघा वाके ग्राम जयसिहपुरा खोर तहसील व जिला जपपुर के संबंध में ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा खोर द्वारा तस्दीक किया गया प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 463 दिनांक 21.02.1961 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर के न्यायालय में चुनौती दी गई। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर ने निर्णय दिनांक 07.06.2018 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर वादग्रस्त खसरा नम्बरो के हितबद्ध सभी पक्षकारो को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिवत सुनवाई करते हुये उचित निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार जयपुर को रिमाण्ड किया गया।

13. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में नामान्तकरण संख्या 463 के गुणावगुण पर कोई विवेचन नही किया गया है। मात्र अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यो को कयास के आधार पर सही मानते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। यहां तक कि उक्त अपील नामान्तकरण दिनांक 21.02.1981 के विरूद्ध दिनांक 11.10.2010 को प्रस्तुत की गई है जो लगभग 29 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये बगैर तथा अपील के अन्दर मियाद घोषित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट (वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 01) द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाहे जाने बाबत धारा 96 सीपीसी का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है न ही इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवेचन किया गया है जबकि अपीलार्थी राधेश्याम अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 463 के प्रत्यक्षतः पीडित एवं प्रभावित पक्षकार नही थे। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय सरसरी तौर पर तथा बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये पारित किया गया है। नामान्तकरण एक फिस्कल प्रविष्टि होती है तथा प्रश्नगत नामान्तकरण के पश्चात भी अन्य परिवर्तन प्रविष्टियो में हो चुके है। अतः उक्त समस्त प्रभावितो को पक्षकार भी नही बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील स्पष्ट तौर पर अवधि बाधित है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य साक्ष्यो के अभाव में सिद्ध नही होते है।

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

इसके अतिरिक्त अपीलकर्ता द्वारा प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 463 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील एवं नामान्तकरण संख्या 251 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मे भिन्न–2 तथ्य अंकित किये गये है। नामान्तकरण संख्या 251 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में विवादित आराजी में वंशानुगत अधिकार होना मात्र अंकित किया गया है परन्तु उक्त अधिकार किस प्रकार है इसका कोई उल्लेख नही किया गया है। यहां तक कि अपील के विचाराधीन रहते दिनांक 30.04.2018 को प्रस्तुत संशोधित अपील में भी वंशावली का कोई विवरण अंकित नही किया गया है। दूसरी ओर नामान्तकरण संख्या 463 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील जो दिनांक 11.10.2010 को प्रस्तुत की गई है उसमें सजरा खानदान अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा उक्त सजरा खानदान को साबित करने हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। इसके विपरीत प्रत्यर्थी (वर्तमान अपीलार्थी) द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है उनमें राधेश्याम पुत्र भूरामल स्पष्ट अंकित है। उक्त दस्तावेजात से स्पष्ट है कि स्वयं राधेश्याम अपने आपको भूरामल का पुत्र कहता आया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 463 के विरूद्ध काल बांधित प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य प्रथम दृष्टया After thought अंकित किये जाने प्रतीत होते है। फलस्वरूप अपीलार्थी राधेश्याम का कोई locus standii साबित नही होता है। नामान्तकरण के माध्यम से हक अधिकारो का निर्धारण नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार को उत्तराधिकार को जांचने व निर्धारण करने के निर्देश दिये गये है जो तहसीलदार की क्षैत्राधिकारिता में नही है। सक्षम न्यायालय द्वारा ही उत्तराधिकार एवं स्वत्व का निर्धारण किया जा सकता है जो नामान्तकरण के माध्यम से संभव नही है।

14. उपर्युक्त विवेचन से सपष्ट है कि अपीलाधीन आदेश विधिक प्रकिया को पूर्ण किये बगैर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने एवं अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का कोई locus standii नही होने से श्रवण योग्य नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेक का उपयोग किये बिना तथा साक्ष्यो के अभाव में कयास के आधार पर अपीलार्थी के कथनो को सत्य मानते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रस्तुत दोनो अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
15. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रश्नगत नामान्तकरण सख्या 463 दिनांक 21.02.1981 ग्राम पचायत जयसिंहपुरा खोर तहसील व जिला जयपुर यथावत रखा जाता है।
16. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner